

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-02/2025/24(आप) पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), बिहार।

पटना, दिनांक 02/7/25

विषय : बिहार पंचायत उप निर्वाचन, 2025 के निमित्त कार्यालय व्यय एवं यात्रा व्यय मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

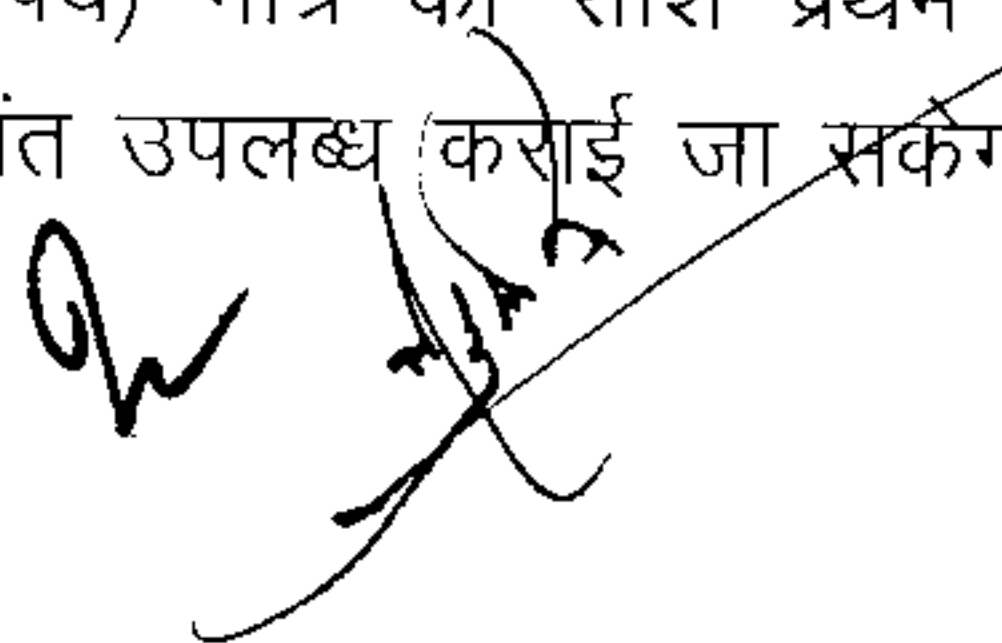
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग की अधिसूचना संख्या 7263 दिनांक 09.06.2025 के आलोक में विभिन्न कारणों से रिक्त हुये पंचायत के पदों यथा-जिला परिषद सदस्य के 08 पद, पंचायत समिति सदस्य के 72 पद, ग्राम पंचायत मुखिया के 63 पद, ग्राम कचहरी सरपंच के 83 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के 839 पद एवं ग्राम कचहरी पंच के 1569 अर्थात् कुल 2634 रिक्त पदों के लिये दिनांक 09.07.2025 को पंचायत उप निर्वाचन, 2025 कराया जाना निर्धारित है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लगभग 5954 मतदान केन्द्रों पर पंचायत उप निर्वाचन, 2025 कराया जाना है।

2. उक्त के आलोक में बिहार पंचायत उप निर्वाचन, 2025 के निमित्त बजट उपबंध की अधिसीमा में यात्रा व्यय इकाई में ₹13291.00 प्रति मतदान केन्द्र एवं कार्यालय व्यय इकाई में ₹11,000.00 प्रति मतदान केन्द्र की दर से यात्रा व्यय मद में ₹99,94,000.00 (निन्यानवें लाख चौरानवें हजार रुपये) मात्र एवं कार्यालय व्यय मद में ₹6,53,95,000.00 (छह करोड़ तिरेपन लाख पिचानवें हजार रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

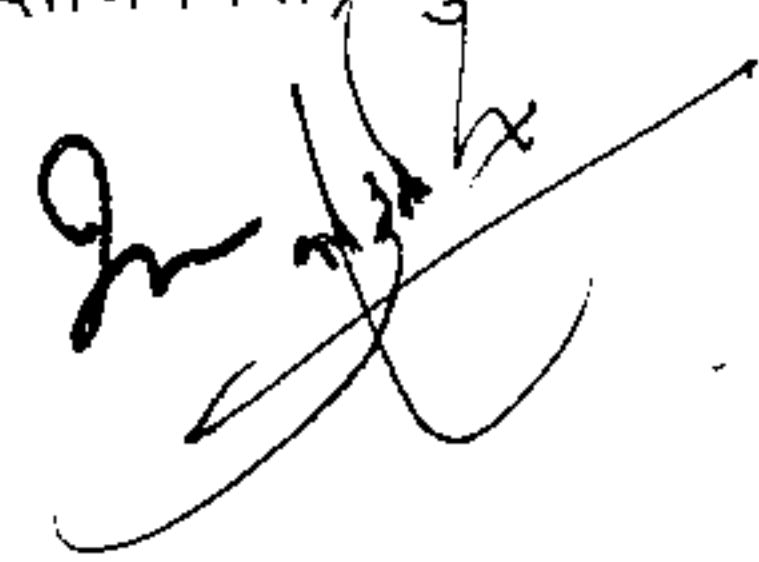
क्र०	जिला का नाम	मतदान केन्द्रों की संख्या (अनुमानित)	यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय मद में देय राशि		बजट उपबंध की अधिसीमा में आवंटित राशि	
			यात्रा व्यय (@ 13291.00)	कार्यालय व्यय (@ 11,000.00)	यात्रा व्यय-11.01	कार्यालय व्यय-13.01
1	ARARIA	205	27,24,655.00	22,55,000.00	2,63,000.00	22,55,000.00
2	ARWAL	32	4,25,312.00	3,52,000.00	2,63,000.00	3,52,000.00
3	AURANGABAD	155	20,60,105.00	17,05,000.00	2,63,000.00	17,05,000.00
4	BANKA	124	16,48,084.00	13,64,000.00	2,63,000.00	13,64,000.00

5	BEGUSARAI	206	27,37,946.00	22,66,000.00	2,63,000.00	22,66,000.00
6	BHAGALPUR	137	18,20,867.00	15,07,000.00	2,63,000.00	15,07,000.00
7	BHOJPUR	313	41,60,083.00	34,43,000.00	2,63,000.00	34,43,000.00
8	BUXER	28	3,72,148.00	3,08,000.00	2,63,000.00	3,08,000.00
9	DARBHANGA	334	44,39,194.00	36,74,000.00	2,63,000.00	36,74,000.00
10	EAST CHAMPARAN	257	34,15,787.00	28,27,000.00	2,63,000.00	28,27,000.00
11	GAYA	109	14,48,719.00	11,99,000.00	2,63,000.00	11,99,000.00
12	GOPALGANJ	190	25,25,290.00	20,90,000.00	2,63,000.00	20,90,000.00
13	JAHANABAD	52	6,91,132.00	5,72,000.00	2,63,000.00	5,72,000.00
14	JAMUI	66	8,77,206.00	7,26,000.00	2,63,000.00	7,26,000.00
15	KAIMUR (BHABUA)	57	7,57,587.00	6,27,000.00	2,63,000.00	6,27,000.00
16	KATI HAR	180	23,92,380.00	19,80,000.00	2,63,000.00	19,80,000.00
17	KHAGARIA	131	17,41,121.00	14,41,000.00	2,63,000.00	14,41,000.00
18	KISHANGANJ	90	11,96,190.00	9,90,000.00	2,63,000.00	9,90,000.00
19	LAKHISARAI	57	7,57,587.00	6,27,000.00	2,63,000.00	6,27,000.00
20	MADHEPURA	60	7,97,460.00	6,60,000.00	2,63,000.00	6,60,000.00
21	MADHUBANI	254	33,75,914.00	27,94,000.00	2,63,000.00	27,94,000.00
22	MUNGER	96	12,75,936.00	10,56,000.00	2,63,000.00	10,56,000.00
23	MUZAFFARPUR	233	30,96,803.00	25,63,000.00	2,63,000.00	25,63,000.00
24	NALANDA	104	13,82,264.00	11,44,000.00	2,63,000.00	11,44,000.00
25	NAWADA	149	19,80,359.00	16,39,000.00	2,63,000.00	16,39,000.00
26	PATNA	331	43,99,321.00	36,41,000.00	2,63,000.00	36,41,000.00
27	PURNIA	121	16,08,211.00	13,31,000.00	2,63,000.00	13,31,000.00
28	ROHTAS	176	23,39,216.00	19,36,000.00	2,63,000.00	19,36,000.00
29	SAHARSA	84	11,16,444.00	9,24,000.00	2,63,000.00	9,24,000.00
30	SAMASTIPUR	204	27,11,364.00	22,44,000.00	2,63,000.00	22,44,000.00
31	SARAN	122	16,21,502.00	13,42,000.00	2,63,000.00	13,42,000.00
32	SHEIKHPURA	82	10,89,862.00	9,02,000.00	2,63,000.00	9,02,000.00
33	SHEOHAR	38	5,05,058.00	4,18,000.00	2,63,000.00	4,18,000.00
34	SITAMARHI	206	27,37,946.00	22,66,000.00	2,63,000.00	22,66,000.00
35	SIWAN	391	51,96,781.00	43,01,000.00	2,63,000.00	43,01,000.00
36	SUPAUL	132	17,54,412.00	14,52,000.00	2,63,000.00	14,52,000.00
37	VAISHALI	286	38,01,226.00	31,46,000.00	2,63,000.00	31,46,000.00
38	WEST CHAMPARAN	153	20,33,523.00	16,83,000.00	2,63,000.00	16,83,000.00
TOTAL		5945	7,90,14,995.00	6,53,95,000.00	99,94,000.00	6,53,95,000.00

यात्रा व्यय इकाई में कुल देय राशि में से अवशेष ₹6,90,20,995.00 (छह करोड़ नब्बे लाख बीस हजार नौ सौ पिचानवें रुपये) मात्र की राशि प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से राशि उपबंधित होने के उपरान्त उपलब्ध कराई जा सकेगी।



3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) होंगे।
4. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अंतर्गत "मुख्यशीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.11.01-यात्रा व्यय" एवं "0002.13.01-कार्यालय व्यय" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2015001090002 है।
5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

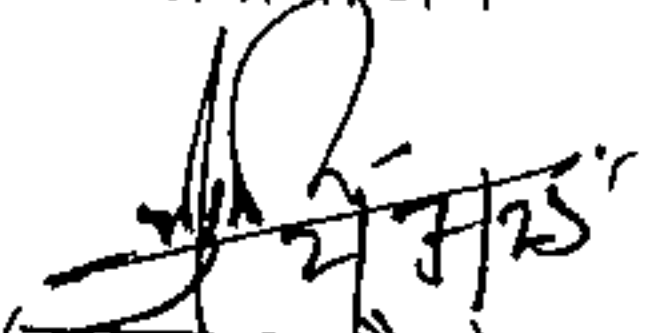


11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-02/2025 के पृष्ठ संख्या16.../टि० पर दिनांक 02/07/2025 को प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

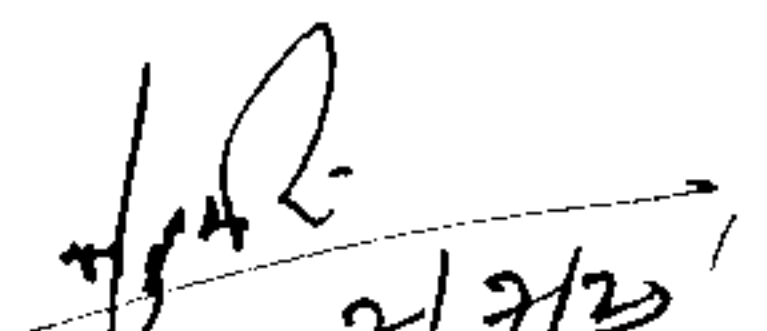
विश्वासभाजन


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-02/2025/24(आ०)/पं०रा०, पटना, दिनांक. 02/7/25
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना /सचिव, राज्य निर्वाचन
आयोग, बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत
राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी-06 (निर्वाचन) एवं 07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र
कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-02/2025/24(आ०)/पं०रा०, पटना, दिनांक. 02/7/25
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

9